(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

दिलीप गोयल बनाम प्रदीप कुमार व अन्य

किस्म मुकदमाः–88,188,209 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–129/2025

GCMS:- 2025/252

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 08.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1–2 ने प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी (दिनांक 13.08.2025) को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने वादग्रस्त भूमि वाके 45 एस.टी.जी. के पत्थर नं. 22/379 (46) के किला नं. 1 ता 5, 6/1,/7/2, 8/1, 9/2, 10 में स्थित 2.137 हैक्टर व पत्थर नं. 23/379 (47) के किला नं. 4 ता 7 में स्थिति 1.012 हैक्टर कुल 3.149 हैक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने तथा दान पात्र दिनांक 12.04.2023 बहक प्रतिवादी संख्या 1 को निरस्त किये जाने की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत किया है। वादी ने इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद से पूर्व सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ में वाद संख्या 59/2025 अनवान दलीप गोयल बनाम प्रदीप कुमार प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित दिनांक 12.04.2023 को अवैध, शून्य व शाश्वत व्यादेश जारी करने का प्रस्तुत किया है। उक्त दोनों वाद समान पक्षकारों के मध्य है एवं समान विषय वस्तुत एवं समान अनुतोष बाबत् प्रस्तुत किये गये है। समान प्रकृति के दोनों वाद होने से विरोधाभासी निर्णय से बचने के लिए विधिक रूप से बाद में संस्थित वाद स्थगित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1–2 स्वीकार किया जाकर उक्त वाद सिविल न्यायालय , सूरतगढ़ में लम्बित वाद संख्या 59/2025 अनवानी दलीप गोयल बनाम प्रदीप कुमार आदि के निर्णय तक स्थगित किया जावे।

वकील वादी/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी/वादी ने राजस्व न्यायालय में पैतृक कृषि भूमि में वादी के जन्म से निहित हक व हिस्सा की कृषि भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम घोषित कर हिस्सानुसार दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किए जाने का अनुतोष चाहा है। कृषि भूमि से संबंधित हक व हिस्सों की अधिकारिता होने अथवा ना होने के प्रश्न के निर्धारण करने का अधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद संख्या 59/2025 व राजस्व वाद संख्या 129/2025 दोनों वाद पत्रों की प्रकृति अलग–अलग है तथा दोनों वाद पत्रों में चाहा गया अनुतोष भी भिन्न–भिन्न है। इसलिये उक्त प्रकरण पर धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू ही नही होते है। न्यायालय वाद पत्र एवं जवाब दावा का अवलोकन कर तथा उन पर नियमानुसार तनकीयात कायम करने से पूर्व धारा 10 सीपीसी के अन्तर्गत जैरकार कार्यवाही को स्थगित नही कर सकती है। दोनों वाद पत्रों के वाद कारण [illegible] है तथा अनुतोष भी भिन्न है। इसलिये राजस्व न्यायालय में विचाराधीन [illegible] की सुनवाई कतई स्थगित नही की जा सकती है। [illegible] उपरोक्त अनवान के वाद पत्र पर अंतिम निर्णय होने की देरी करने की मंशा [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या [illegible]2 धारा 10 सीपीसी व 151 सीपीसी निरस्त की जावे। अपने तर्कों के समर्थन में कानूनी नजीर आरआरडी 1995 पेज 538, आरआरडी 1990 पेज 554, आरआरडी 1993 पेज 812 प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.15 14:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 08.04.2026

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। यह स्वीकार्य तथ्य है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा सिविल न्यायाधीश, सूरतगढ़ के समक्ष वाद संख्या 59/2025 अनवान दिलीप गोयल बनाम प्रदीप कुमार आदि बाबत् दान पात्र दिनांक 12.04.2023 को अवैध व शून्य घोषित करवाने तथा वादी के अधिकारों पर निष्प्रभावी करवाने एवं शाश्वत व्यादेश हेतु प्रस्तुत है। उक्त वाद दिनांक 22.04.2025 को सिविल न्यायालय, सूरतगढ़ में प्रस्तुत किया हुआ है। इसके पश्चात् अप्रार्थी/वादी द्वारा हस्तगत वाद राजस्व न्यायालय में दिनांक 28.04.2025 को प्रस्तुत किया है। हस्तगत वाद में अप्रार्थी/वादी द्वारा जैरवाद रकबा में वादी का 1/3 हक व हिस्सा घोषित करवाने तथा दान पात्र दिनांक 12.04.2023 को वादी के मूल अधिकारों व हकों पर शून्य एवं अकृत होने की घोषणा करने तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 के नाम का अंकन को निरस्त करने की घोषणा करने तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी/वादी द्वारा जैरवाद रकबा के संबंध में राजस्व न्यायालय में पूर्व सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है। सिविल न्यायालय में दान पात्र दिनांक 12.04.2023 को अवैध व शून्य घोषित करवाने तथा राजस्व न्यायालय में भी अनुतोष संख्या–ख में दान पात्र दिनांक 12.04.2023 को वादी के हकों पर शून्य व अकृत होने की घोषणा चाही है। यदि सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में निर्णय किया जाता है तो उसका प्रभाव हस्तगत वाद पत्र में होगा। यह स्पष्ट है। इसलिये न्यायालय में वाद पत्रों की बाहुलता को रोकने लिये उक्त वाद पत्र को सिविल न्यायालय के निर्णय तक लम्बित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण आर.आर.डी. 1990 पेज 554 में बिना दावा में पक्षकार बने अपील के आधार पर अनुतोष चाहा गया था। जबकि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी एवं अनुतोष भी समान है तथा नेचर भी समान है। इसलिये उक्त उद्धरण इस प्रकरण पर लागू नही होता है। इसी तरह आर.आर.डी 1993 पेज 812 के उद्धरण भी इस प्रकरण पर लागू नही होता है कि क्योंकि उक्त उद्धरण में राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा का था तथा सिविल न्यायालय में विक्रय विलेख को रद्द करने का है। जबकि उक्त प्रकरण में एक न्यायालय का निर्णय का प्रभाव दुसरे न्यायालय के निर्णय पर पड़ेगा। जिससे दुसरे न्यायालय की कार्यवाही दुषित हो जावेगी। इसी प्रकार आरआरडी 1995 पेज 538 के उद्धरण भी इस प्रकरण पर लागू नही होता है। उक्त प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जे की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का है तथा प्रतिवादीगण द्वारा सिविल न्यायालय में संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का है। जबकि हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा सिविल न्यायालय में पंजीकृत वसीयत को अवैध व शून्य घोषित करवाने तथा राजस्व न्यायालय में पैतृक सम्पति में हकों की घोषणा करने तथा दान पात्र को वादी के हकों पर शून्य एवं अकृत होने की घोषणा चाही है। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पूर्ववर्ती है। सिविल न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय किया जावेगा। वह राजस्व न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी (दिनांक 13.10.2025) स्वीकार किया जाकर सिविल न्यायाधीश, सूरतगढ़ में विचाराधीन सिविल वाद संख्या 59/2025 अनवान दलीप गोयल बनाम प्रदीप कुमार आदि के निर्णय तक उक्त हस्तगत वाद लम्बित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.15 14:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 08.04.2026

किया जाता है। सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरान्त पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली में आगामी कार्यवाही की जावे। तब तक पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.15 14:14:28 IST
Reason: SelfAttested